



राजस्थान सरकार

कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग

कार्यालय - मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, सी-6,

झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004



क्रमांक: एफ-(.....)/2020/वनिकाबा/16 दिनांक 06/01/2021

परिपत्र

दिनांक 05-01-2021 को श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राज्य में Ease of Doing Business के लिये BRAP की पालना हेतु बैठक आयोजित की गयी जिसमें विभाग से संबंधित कार्यों के लिये Dashboard प्रदर्शित करने के निर्देश प्रदान किये गये। इस हेतु विभाग की वेबसाइट <http://rajfab.rajasthan.gov.in/frmRajfabDashBoard.aspx> पर एक Dashboard उपलब्ध करवाया गया है जिस पर ऑनलाइन आवेदनों पर कार्यवाही में लिये गये समय को दर्शाया गया है जो कि Real Time में update होता है। विभागीय वेब एप्लीकेशन पर कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये निर्देशित किया जाता है कि सभी ऑनलाइन आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा में ही कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। इस हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदनों पर कार्यवाही हेतु निर्धारित समयावधि में से निम्नानुसार समय सीमा आवंटित की जाती है-

1. धारा 2m(i) के तहत कारखानों के नक्शे-
 - i. कर्मचारी द्वारा आवेदन पर लिया जाने वाला अधिकतम समय - 7 दिन
 - ii. जांच अधिकारी द्वारा आवेदन पर लिया जाने वाला अधिकतम समय - 18 दिन
2. धारा 2m(ii) के तहत गैर जोखिमपूर्ण कारखानों के नक्शे-
 - i. कर्मचारी द्वारा आवेदन पर लिया जाने वाला अधिकतम समय - 3 दिन